



फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा, मुकाम मालाखेडा
भगवान सहाय बनाम कल्याण

किस्म मुकदमा दावा 53, 188 आरटीए मु० नं०...1.192.....सन-2024

शीख क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2.11.2024	<p>वकील वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब हो। दिनांक 13.12.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा </p> <p>13/12/24 वाद का काम स्थगन है। पीठस्थीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 17/11/25 को पेश हो। रीडर</p> <p>17.11.25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी को आवाने हिदाई गई किन्तु वकील वादी लाजिरे नही आवे। वादी स्वंप भी लाजिरे नही है। अतः वकील वादी की अनुमि मे वाद अहम एजरी अहम पेशी मे लाजिरे रिया जाता है। पत्रावली केसल वेकर लखर से भन हो। वाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अहकाम) सन० </p>	